

प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक: 28.10.2026

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹12,000/- के अर्थदण्ड की सजा लोहे की सरिया से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में माननीय न्यायालय डी.जे. कोर्ट, शाहजहाँपुर ने सुनाया कठोर दण्ड

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे **ऑपरेशन कन्विकशन** के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार तथा श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर हत्या के एक जघन्य मामले में अभियुक्त को कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना तिलहर पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण में निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस एवं अभियोजन पक्ष द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए गवाहों की गवाही सुनिश्चित कराई गई। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय डी.जे. कोर्ट, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त **प्रदीप उर्फ बबलू उर्फ श्याम चरन** को धारा 302/201 भादवि के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए **आजीवन कारावास एवं कुल ₹12,000/- के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

प्रकरण का विवरण-

दिनांक 26.03.2020 को अभियुक्त प्रदीप उर्फ बबलू पुत्र श्यामाचरन, निवासी ग्राम दलेलापुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर, वादिनी सुशीला देवी के पुत्र राममूर्ति को घर से बुलाकर बाहर ले गया था। रात्रि में वापस न आने पर दिनांक 27.03.2020 की सुबह राममूर्ति का शव देवस्थान के पास मिला। मृतक के सिर पर लोहे की सरिया से प्रहार किए जाने के तीन गहरे घाव पाए गए थे, जिससे उसकी हत्या की गई थी। इस संबंध में वादिनी सुशीला देवी पत्नी रमेश चंद, निवासी ग्राम दलेलापुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर की लिखित सूचना के आधार पर थाना तिलहर पर मु०अ०सं० 180/2020, धारा 302, 201 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन विवेचक उ०नि० श्री महेश सिंह द्वारा की गई। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण भौतिक, वैज्ञानिक एवं मौखिक साक्ष्य संकलित किए गए तथा दिनांक 10.06.2020 को आरोप पत्र संख्या 288/20 माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

प्रभावी पैरवी एवं न्यायालय का निर्णय-

प्रकरण के विचारण के दौरान थाना तिलहर पुलिस, मॉनीटरिंग सेल, पैरोकार का० विनोद कुमार एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय डी.जे. कोर्ट, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹12,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण-

प्रदीप उर्फ बबलू उर्फ श्याम चरन, निवासी ग्राम दलेलापुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता-

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को कानून के कठघरे तक पहुँचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने हेतु निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। **ऑपरेशन कन्विक्शन** के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय स्थापित करने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।